

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती)

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023

(वेबसाइट - www.csbc.bih.nic.in)

संदर्भ - विज्ञापन संख्या-01/2022

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' के 76 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन से संबंधित अंतिम परिणाम

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार राज्य में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद की 76 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक 11.08.2022 को विज्ञापन संख्या 01/2022 राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों तथा पर्वद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

2. प्रकाशित विज्ञापन एवं बिहार गजट असाधारण अंक (सं० पटना 942) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2019 (अधिसूचना संख्या 4/ब1-102/2008-6620/गृ०आ०, दिनांक 14 अगस्त, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लेखित प्रक्रिया एवं अन्यान्य लागू नियमानुसार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' की सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 16.10.2022 (रविवार) को आयोजित की गयी तथा परीक्षाफल दिनांक 28.10.2022 को प्रकाशित किया गया।

3. लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 380 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 19.11.2022 को शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना-800002 में आयोजित की गई। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कुल 371 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 09 अनुपस्थित रहे।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान निम्नांकित अभ्यर्थी विभिन्न चरणों में निम्नांकित कारणों से अयोग्य घोषित किए गए -

क्रमांक	विवरण	अभ्यर्थियों की संख्या
1.	कदाचार के आधार पर	00
2.	दौड़ में असफल	92
3.	अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक माप जाँच में असफल	17
4.	अभिलेख सत्यापन में अयोग्य	00

5. शारीरिक दक्षता, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अर्हता रखने वाले कुल 262 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाये गए।

6. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद पर नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान तथा “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे।

7. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-6620/गृ0आ0, दिनांक 14 अगस्त, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित), केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के विज्ञापन संख्या 01/2022 तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -7/स्था0 (उ0सि0)-4-03/2013-3492, दिनांक 06.07.2022 द्वारा प्राप्त अधियाचना/शर्तों के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम रूप से आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार निम्नवत् चयन किया जा रहा है।

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग			पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	
मूल रिक्ति 76 01 FFW सहित	30	10	40	05	02	07	03	02	05	03	00	03	04	03	07	10	03	13	01
चयनित	29	10	39	05	02	07	03	02	05	03	00	03	04	03	07	10	03	13	01
चयनित FFW	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग	30	10	40	05	02	07	03	02	05	03	00	03	04	03	07	10	03	13	01
अग्रणीत पदों पर चयनित	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल चयनित	30	10	40	05	02	07	03	02	05	03	00	03	04	03	07	10	03	13	01
शेष रिक्ति	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
चयनित कुल योग - 76																			

❖ उपर्युक्त सारणी में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी की संख्या को FFW में दर्शाया गया है।

8. सभी कोटियों की सभी 76 रिक्तियाँ भर दी गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों में 21 महिलाएँ तथा 55 पुरुष हैं।

9. उपरोक्तानुसार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित उम्मीदवारों के अनुक्रमांक निम्नवत् हैं।

(यह सूची अनुक्रमांक वार है, इसे मेधा सूची न समझा जाए)



Advt No: 01/2022 Prohibition Constable

List of Selected Candidates

1710020020	1715010406	1722070018
1710040450	1715030580	1722070354
1710041008	1715040003	1724030165
1710060720	1715040512	1724080310
1710060742	1715040669	1725040080
1710080360	1715050050	1725060064
1710080376	1717030036	1725070416
1710090600	1717040268	1725080108
1710110314	1717070072	1725120024
1711040744	1717070280	1725120326
1711060710	1718030372	1725150330
1711060776	1719010356	1726020290
1711070568	1719020226	1726020302
1711070578	1719020480	1726030326
1711070588	1719050432	1726100012
1711080016	1719060040	1726100082
1711080552	1719100072	1727010110
1713020369	1719100396	1727020124
1713040290	1719150218	1727030048
1713080388	1719150356	1727040658
1714020032	1720030288	1727070292
1714030546	1721030195	1727080104
1714060300	1721030231	1727080582
1714070366	1721100452	1727090092
1715010152	1722050422	
1715010290	1722060312	

10. विभिन्न आरक्षण कोटियों के कट-ऑफ मार्क्स निम्नवत् हैं -

Advt. No. 01/2022 Prohibition Constable FINAL RESULT - CATEGORY WISE CUT OFF MARKS					
Category	TOTAL CANDIDATE SELECTED	Remarks	Male	Female	FFW Male
General	40	Cut off Marks	86.00	76.00	72.00
		Cut off DOB	02-09-2000	11-02-2002	19-05-2002
EWS	7	Cut off Marks	80.00	54.00	-
		Cut off DOB	18-11-1999	16-08-2000	-
SC	5	Cut off Marks	76.00	70.00	-
		Cut off DOB	10-10-1996	25-05-1999	-
ST	3	Cut off Marks	72.00	-	-
		Cut off DOB	15-07-1998	-	-
EBC	7	Cut off Marks	80.00	72.00	-
		Cut off DOB	12-06-1998	07-02-2000	-
BC	13	Cut off Marks	80.00	72.00	-
		Cut off DOB	13-11-1998	02-03-2001	-
BCW	1	Cut off Marks	-	70.00	-
		Cut off DOB	-	20-05-1998	-

11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार “आयुक्त उत्पाद, बिहार” को प्रेषित की जाती है।

12. **अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचान :-** मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में ‘मद्य निषेध सिपाही’ के नियुक्ति प्राधिकार - “आयुक्त उत्पाद, बिहार” द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ-साथ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने की स्थिति में नियुक्ति का निर्णय न्यायादेश के आधार पर लिया जाएगा।

13. **चिकित्सकीय परीक्षण :-** मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में ‘मद्य निषेध सिपाही’ के पद पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार - “आयुक्त उत्पाद, बिहार” द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक 05/12/2022 से 05/01/2023 तक व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि तक योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। योगदान एवं नियुक्ति के संबंध में अग्रेतर निर्देश एवं सूचनाएँ नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत की जाएगी।

15. चयनित अभ्यर्थी निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों को योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे-

- वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे- मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र।
- जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति)।

- (iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
- (v) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
- (vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए)।
- (vii) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी (यदि लागू हो तो) होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-11687/सा0प्र0, दिनांक-30.08.2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार।
- (viii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में।
- (ix) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो), बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएँगे।
- (x) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पी0पी0ओ0 तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा।
- (xi) किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा।
16. प्रेस में मुद्रण अथवा टंकण की अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।
17. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना

ज्ञापांक-12/के0च0प0(प0परि0)

दिनांक- 23/11/2022

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना